13

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 29-1-85 को 3-00 बजे अपरान्ह में तथा 30-1-85 को 12-30 बजे अपरान्ह में हुई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1985 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री खान गुफरान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री मीर मुहर अली		सदस्य
3-	श्री माता प्रसाद		सदस्य
4-	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
5-	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
6-	श्रीमती मंजुलिका गौतम	संयुक्त सचिव, आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि	सदस्या
7-	श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
8-	श्री एन०एस०जौहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र०	सदस्य
9-	श्री शम्भु नाथ	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर निर्णय लिये गये:---

क्र०सं०	विषय	संकल्प सं०	निर्णय
1-	दिनांक 21-11-84 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/(1)/85	परिषद की दिनांक 21-11-84 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 21-11-84 की अनुपालन आख्या।	प्रथम/(2)/85	परिषद व्दारा दिनांक 21-11-85 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये: 1- बैठक में बताया गया कि मुरादाबाद और अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों व्दारा किये गये अनाधिकृत अध्यासन के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र संख्या 4093/सं०प्र०-3 दिनांक 23/27-11-84 व्दारा स्थिति से अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया है कि वह अपने स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों की शीघ्र बैठक कराकर इस समस्या का निराकरण करायें। निर्णय लिया गया कि वर्तमान अध्यक्ष के हस्ताक्षर से एक स्मृति पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को पुनः भेजा जाये और उनसे अनुरोध किया जाये कि वे शीघ्र इस समस्या का निराकरण करायें। यह भी निर्णय लिया गया कि जो पत्र मुख्य मंत्री जी को भेजा जाये उसमें उनसे भी अनुरोध कर लिया जाये कि वे परिषद के कार्यों में पुलिस की सहायता आवश्यकतानुसार दिलाने के बारे में गृह सचिव से विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दे दें ताकि परिषद की योजनाओं का कार्यान्वियन समुचित ढंग से किया जा सके। 2- बैठक में बताया गया कि बैलेन्सशीट बनाने का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि वर्ष-79-80 तक की बैलेन्सशीट बनाकर सम्परीक्षण हेतु प्रस्तुत कर दी गयी है और अगले दो माह तक 80-81 की भी बैलेन्सशीट बनाकर परिषद के समक्ष रखी जायेगी। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी की सहमति से बैलेंसशीट बनाने के लिये निम्नवत् कार्यक्रम बनाया गया:-

वर्ष	अवधि जब तक बैलेन्सशीट बनाकर परिषद के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करनी है।

1	2	3	4
			80-81 फरवरी 85 तक 81-82 अप्रैल 85 तक 82-83 जनवरी 85 तक 83-84 अगस्त 55 तक 84-85 दिसम्बर 85 तक यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में परिषद की प्रत्येक बैठक में इस संदर्भ में हुई प्रगति से परिषद को अवश्य अवगत कराया जायेगा। 3- वर्ष-77-78 के धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेखों के अप्राप्त होने के संदर्भ में परिषद के पूर्व निर्णयानुसार गठित समिति की अध्यक्षता श्री प्रेम नाराण, वित्त सचिव के प्रतिनिधि के स्थान पर आवास आयुक्त स्वयं करेंगे। समिति के अन्य सदस्य यथावत् रहेंगे। समिति यथा संभव दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करेगी ? परिषद की अगली बैठक तक समिति द्वारा की गयी जांच व कार्यवाही की प्रगति के सम्बन्ध में अंतरिम रिपोर्ट दी जायेगी।
3—बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	प्रथम/(3)/85		बीस सूबीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1-बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 84-85 में 4076·56 एकड़ भूमि अर्जित करने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध दिसम्बर-84 तक 773·15 एकड़ भूमि अर्जित की जा सकी है। यह भी बताया गया कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम में हुये संशोधन के फलस्वरूप भविष्य में परिषद को तभी अधिग्रहीत भूमि का कब्ज़ा मिल पायेगा जब कि अनुमानित प्रतिकर की कुल धनराशि का 80% अग्रम के रूप में जमा कर दिया जाये। यह भी बताया गया कि इस प्राविधान के कारण परिषद को एक बहुत बड़ी धनराशि भूमि का कब्ज़ा प्राप्त करने के पूर्व जमा करनी होगी जिसके काश्तकारों के बीच वितरण में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा और इस बीच परिषद को उक्त धनराशि के विनियोजन से होने वाली आय की जहां एक ओर हानि होगी वह दूसरी ओर कब्जे की प्राप्ति की तिथि तक प्रतिकर की निर्धारित धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज भी काश्तकारों को देय होगी। यह भी बताया गया कि परिषद के पास इतनी धनराशि एक साथ जमा करने के लिये उपलब्ध होना दुरूह होगा। विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाये कि वह 80% अग्रिम जमा करने की शर्त में छूट देते हुये उतनी धनराशि की बैंक गारन्टी देने पर कब्ज़ा दिलाने के संदर्भ में निर्देश प्रसारित करने की व्यवस्था करा दें ताकि काफी दिनों तक परिषद की धनराशि इस तरह फंसी न पड़ी रहे। यह भी निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में एक बैठक माननीय राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में कराई जाये जिस में आवास मंत्री जी तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भाग लें और इस समस्या के निराकरण, कराया जाये। इसके लिये अध्यक्ष महोदय की ओर से एक पत्र मा० राजस्व मंत्रीजी तथा मा०

आवास मंत्री जी को भेजा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अध्याप्ति में जो धन परिषद व्दारा व्यय किया जाता है उसके लिये शासन से सीड कैपिटल के रूप में धनराशि देने के लिये अनुरोध किया जाये ताकि परिषद को अपना धन भूमि अध्याप्ति के कार्य में न लग कर वास्तविक निर्माण के कार्य में लगेगा।

बैठक में बताया गया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जिन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों व्दारा की जाती है वे जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहते हैं और उनके व्दारा अधिग्रहण से इतर कार्यों में इन्हें लगा दिया जाता है। जिससे भूमि अध्याप्ति का कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है। निर्णय लिया गया कि राजस्व परिषद तथा शासन के राजस्व विभाग में अनुरोध किया जाये कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के कार्यों से सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को जिलाधिकारी के नियंत्रण में न रख कर आवास आयुक्त के नियन्त्रण में रखने का निदेश प्रभावित किया जाये ताकि भूमि अध्याप्ति का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले 5 वर्षों के आंकड़े देते हुये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्राविधानों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को इंगित करते हुये एक संक्षिप्त पत्र अध्यक्ष महोदय की ओर से माननीय राजस्व मंत्री जी और मा० आवास मंत्री जी को भिजवाया जाये और उनसे शीघ्र बैठक करके समस्याओं का निराकरण कराने का अनुरोध किया जाये।

2- बैठक में बताया गया कि वर्ष-84-85 में परिषद व्दारा 768 एकड़ भूमि विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध दिसम्बर-84 तक 178 एकड़ भूमि विकसित की गयी एवं 939 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा से ऐसा प्रतीत हुआ लगभग 224 एकड़ के समतुल्य क्षेत्र में कार्य और पूर्ण कहा जा सकता है। निर्णय लिया गया गया कि विकास कार्यों पर विशेष बल दिया जाये ताकि भवनों का निर्माण पूर्ण होने के साथ साथ विकास कार्य भी पूर्ण किया जाये जिसे भवनों का आवंटन तुरन्त किया जा सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि विकास कार्य एवं निर्माण कार्य को इस प्रकार सुनियोजित किया जाये। कि विकास कार्य भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से 6 माह पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया जाये ताकि भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ साथ विकास कार्य भी पूर्ण हो सकें।

3- बैठक में बताया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष-84-85 के लिये द०आ०ब०/ज०आ०वर्ग के 12000 भवन/प्लाट एवं सर्विसेज इकाईयों को पूर्ण/प्रगति पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 9000 भवनों/इकाइयों को पूर्ण करना था एवं 3000 सम्पत्तियों को प्रगति पर रखना था। पर यह भी बताया गया कि इस लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 84 तक 11641 भवनों/प्लाट एवं सर्विसेज के भूखण्डों पर कार्य पूर्ण/प्रगति पर रहा जिसमें से 3011 भवन पूर्ण किये गये एवं 7391 भवनों तथा 1239 भूखण्ड अर्थात 8630 सम्पत्तियों पर कार्य प्रगति पर रहा। परिषद ने निर्माण कार्यों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुये निर्णय लिया कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ~~अधिकाधिक~~ अधिकाधिक संख्या में भवन/भूखण्ड जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं पूर्ण कराये जायें और लक्ष्यों की प्राप्ति में हो रही कठिनाईयों का निराकरण करते हुये उनकी प्राप्ति का हर संभव प्रयास किया जाये।

1	2	3	4
4-	विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। योजना का नाम:- 1- बलरामपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जसपुर। 2- जसवन्ती देवी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, पीलीभीत।	प्रथम/(4)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
5-	स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 20 नगरों में विभिन्न श्रेणी के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	प्रथम/(5)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
6-	हल्द्वानी योजना सं०-1 में अनाधिकृत रूप से रह रहे श्री गुमान सिंह, कमल सिंह व श्रीमती जयन्ती देवी को भूमि प्रदेशन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(6)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि टिप्पणी में इंगित विशेष परिस्थितियों में अधि०अभि० द्वारा की गयी संस्तुति स्वीकार कर ली जाये किन्तु विवादग्रस्त भूखण्ड वर्तमान मूल्यों पर ही दिये जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सम्बन्धित अध्यासीन व्यक्ति एक साथ भूखण्ड का मूल्य देने की स्थिति में न हों तो आवास आयुक्त अपने स्तर पर मूल्य 4 वर्षों की किस्तों में वसूली करने के आदेश दे सकते हैं।
7-	विश्वनाथ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2, 3 व 4 क्षेत्रफल व अनुमानित लागत क्रमशः 12-20 एकड़ (तथा 10.817 लाख (1.14 एकड़) रु० 5.61 लाख (1.66 एकड़) रु० 8.165 लाख)	प्रथम/(7)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	योजना सं०-3 कानपुर में भूतल पर 22 दुकानें, 2 स्टोर तथा उनके ऊपर 8 आवासीय भवनों का निर्माण। 2- राजपुर मार्ग योजना सं०-1 में 182 म०आ०व०भवनों में ऊंची नीची भूमि को रिटेन किये जाने हेतु दीवाल का निर्माण। 3- देहरादून रोड योजना सं०-1 रुड़की में म०आ०व०-53/227 प्रकार के अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण। 4- इन्दिरा नगर योजना रायबरेली में म०आ०व०एम०-3/79 प्रकार के 18 भवन तथा दु०आ०व०डब्लू०-4.79 प्रकार के 18 भवनों का निर्माण। 5- बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बांदा में लाइट एवं सर्विस 2/40 प्रकार के 198 भूखण्डों का निर्माण। 6- इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर 4 में स्थित डिस्पले सेन्टर में प्रशिक्षण हेतु 15 फीट× 30 फीट का टयूबलर एवं टयूबलेट ब्लाक के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	प्रथम/(8)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	परिषद की योजनाओं से होने वाले विस्थापितों को दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में।	प्रथम/(9)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्डों के मूल्यांकन से सम्बन्धित किसी विशिष्ट योजना का पूर्ण विवरण परिषद की अगली बैठक में रखा जाये ताकि परिषद को मूल्यांकन के बारे में विस्तृत जानकारी हो सके।

1	2	3	4
10-	नीलामी व्दारा उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्ति के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1980 के नियम 18 (निर्माण अवधि में वृद्धि) में परिवर्तन।	प्रथम/(10)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नीलामी व्दारा प्रदिष्ट होने वाले भूखण्डों में निर्माण अवधि 3 वर्ष ही रखी जाये और 3 वर्ष के उपरान्त अनिर्माण शुल्क निम्नवत् वसूल किया जाये:- प्रथम 2 वर्ष 5% छठे वर्ष 10% सातवें वर्ष 15% आठवें वर्ष 20% नवें वर्ष 25% दसवें वर्ष 35% 10 वर्ष के उपरान्त निर्माण की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी और भूमि वापिस लेने की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्तानुसार पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियमों में संशोधन कर लिया जाये।
11-	महोली रोड योजना सं०-1 मथुरा के अन्तर्गत दु०आ०व० के 197 तथा अल्प आय वर्ग के 65 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(11)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
12-	सीतापुर नगर में कपूरथला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 हेतु आपसी बातचीत व्दारा भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(12)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीतापुर नगर में कपूरथला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 की भूमि आपसी बातचीत के आधार पर क्रय न की जाये और इस योजना का परित्याग कर दिया जाये।
13-	श्री सुरेन्द्र कुमार दल 6/163 वाल वाला गोदाम सूरजभान फाटक बेलन गंज आगरा का पंजीकरण करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(13)/85	अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
14-	नई आवासीय योजनाओं के संचालन हेतु आवास आयुक्त व्दारा धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों की परिषद के विचारार्थ/सूचनार्थ सूची।	प्रथम/(14)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	टनकपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 टनकपुर (क्षेत्रफल 15.19 एकड़ अनुमानित लागत रु० 49.859 लाख)	प्रथम/(15)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
16-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत दुकानों की नीलामी एवं शर्तों में आंशिक संशोधन किया जाना।	प्रथम/(16)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इन्दिरा नगर योजना की विशेष परिस्थितियों में वर्तमान नियमों एवं शर्तों में यथा प्रस्तावित संशोधन कर लिया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि यह संशोधन अन्य योजनाओं के बारे में लागू नहीं होगा।
17-	हापुड़ दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग बाई पास पर हिंडन नदी व हिण्डन कट के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-4 गाज़ियाबाद।	प्रथम/(27)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
18-	परिषद की इन्दिरा नगर आवासीय योजना, लखनऊ के सेक्टर-3 में निर्मित 80 मध्यम आय वर्ग की प्राविधिक सम्परीक्षा रिपोर्ट के प्रसंग में।	प्रथम/(18)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का निर्णय लिया गया था उनके विरुद्ध चल रही कार्यवाही को एक माह के भीतर समाप्त कराने का प्रयास किया --

1	2	3	4
			जाये और प्रगति की जानकारी परिषद की अगली बैठक में कराई जाये। इस जानकारी के पश्चात् इस मामले को पुनः विचारार्थ रखा जाये।
19-	परिषद द्वारा अपने स्टाफ को किराये पद्धति पर आवंटित भवनों एवं परिषद के अनावासीय भवनों के वार्षिक रखरखाव एवं विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में	प्रथम/(19)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-	गुण नियन्त्रण प्रकोष्ठ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति हेतु परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रथम/(20)/85	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ के लिये मांगे गये अतिरिक्त पदों में से निम्न पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी जाये:- 1- तकनीकी सहायक (केन्द्रीय प्रयोगशाला) 1 2- तकनीकी सहायक (क्षेत्रीय प्रयोगशाला 10 3- स० श्रेणी प्रथम-कम खजांची 1 4- स० श्रेणी-तृतीय 1 5- आशुलिपिक 2 6- दफ्तरी 1 7- चपरासी 1 8- ड्राईवर 1 9- स्वीपर-कम-चौकीदार 1 10- मेनेजर (कार्य प्रभारी) 2 11- हेल्पर (कार्य प्रभारी) 2 यह भी निर्णय लिया गया कि लेब बोयाय का पद समाप्त कर दिया जाये।
21-	हडको वित्त पोषित ।। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(21)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22-	परिषद द्वारा किसी बाह्य सं० अथवा व्यक्ति को भूमि का लेआउट अथवा भूमि पर निर्माण हेतु मानचित्र बनाये जाने पर परिषद द्वारा प्राप्य फीस।	प्रथम/(22)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
23-	परिषद द्वारा अपने स्टाफ को किराये पद्धति पर आवंटित भवनों एवं परिषद अनावासीय भवनों के वार्षिक रखरखाव एवं विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में।	प्रथम/(23)/85	इस मद का निर्णय मद संख्या-19 के साथ उल्लिखित है।
24-	परिषद के संकल्प सं० षष्टम (2)/84 दि० 29-9-84 द्वारा अनुमोदित परिषद के निर्माण कार्यों में प्रगति लाने की दृष्टि से सामग्रियों की आपूर्ति हेतु राजकीय निर्माण निगम की कार्य प्रणाली लागू किये जाने के प्रस्ताव के बारे में गुण अवगुण एवं व्यवहारिकता के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।	प्रथम/(24)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
25-	परिषद अधिनियम में विकास शुल्क का प्राविधान करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(25)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
26-	परिषद अधिनियम में रखरखाव शुल्क का प्राविधान करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(26)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	परिषद मुख्यालय पर नियुक्त अभियन्ताओं तथा क्वालिटी		

1	2	3	4
	कन्ट्रोल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट कार्यों पर लगे हुये अभियन्ताओं को विशेष वेतन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(27)/85	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद व्दारा गठित उप समिति की संस्तुति के अनुसार विशेष भत्ता स्वीकृत कर दिया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में समिति ने संस्तुति नहीं की है उन पर पुनः बिस्तार में बिचार बिमर्श कर लिया जावे और आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जावे।
28-	लखनऊ नगर को राजाजीपुरम योजना में स्वंय बित्त पोषित योजना के तृतीय श्रेणी (अनुमानित मूल्य 1,10,000/=) के लिये दिनांक 15-1-85 से नया पंजीकरण खोलने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(28)/85	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	देहरादून रोड भूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (बिस्तार) रुड़की।	प्रथम/(29)/85	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
30-	गुरुकुल कांगड़ी (कनखल) भूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 (हरिव्दार) क्षेत्रफल 51.56 एकड़ अनुमानित लागत रु0 170.095 लाख)	प्रथम/(30)/85	परिषद ने बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
31-	लखनऊ-रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि बिकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, लखनऊ।	प्रथम/(31)/85	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
32-	महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर में समाविष्ट खसरा भाग सं0-74/2 के संबंध में।	प्रथम/(32)/85	परिषद व्दारा बिचार-बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	परिषद योजनाओं में रिक्त भूमि पर छोटी दुकानों तथा कियोस्कों के लिये बित्त पोषित योजना को प्रारम्भ करने के संबंध में।	प्रथम/(33)/85	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
34-	विद्युत खण्ड प्रथम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पदों के परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(34)/85	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
35-	सामूहिक बीमा एवं बचत योजना।	प्रथम/(35)/85	परि- षद बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के अनुसार परिषद के कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा एवं बचत योजना 1-2-85 से लागू कर दी जावे और इस कार्य के सम्पादन हेतु एक सहायक लेखाकार का पद वेतनमान 490-760 में सृजित कर लिया जावे।
36-	रूप योजना के अन्तर्गत बिनियोजन।	प्रथम/(36)/85	परिषद व्दारा बिचार बिमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

1	2	3	4
37-	परिषद योजनाओं के नामकरण हेतु गठित समिति की दिनांक 28-1-85 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के प्रति परिषद के विचारार्थ एवं स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत।	प्रथम/(37)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की योजनाओं के नामकरण हेतु गठित समिति को निम्नवत् पुनर्गठित कर दी जाये:-- 1-अध्यक्ष, आवास परिषद — अध्यक्ष 2-श्रीमती दीपा बोल परिषद सदस्या — सदस्या 3-श्री नोनिहाल सिंह परिषद सदस्य — सदस्य 4-आवास आयुक्त — सदस्य यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति विचारोपरान्त अन्तिम निर्णय के लिये सक्षम होगी। उक्त समिति के निर्णय परिषद की बैठक में केवल सूचनार्थ ही रखे जायेंगे।
38-	परिषद में एक ओर विद्युत/यांत्रिक खण्ड के सृजन के संबंध में।	प्रथम/(38)85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों के लिये मानक निर्धारित कर लिये जायें। ऐसा मानक निर्धारित करने के पूर्व देख लिया जाये कि विद्युत परिषद द्वारा क्या मानक निर्धारित है।
39-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	प्रथम/(39)/85	परिषद के सदस्यगण श्री मीर मजहर अली तथा श्री नोनिहाल सिंह ने सहायक आवास आयुक्त के पदों पर पदोन्नति के संदर्भ में एक प्रस्ताव रखा निर्णय लिया गया कि इसका परीक्षण करके परिषद की अगली बैठक में रखा जाये। 2- परिषद की सदस्या श्रीमती दीपा बोल ने परिषद की योजनान्तर्गत इन्दिरा नगर की विभिन्न समस्याओं की ओर परिषद का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत जो आवासीय आ गये हैं। उनके निवासियों के लिये शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें कठिनाई हो रही है। निर्णय लिया गया कि इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत उपयुक्त स्थान पर एक सुलभ शौचालय बनवा दिया जाये। 3- यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की फतेहपुर शहर में स्थित योजना में प्रयोगात्मक रूप से एक ऐसा सामुदायिक केन्द्र बनवाया जाये जिसमें उक्त शहर में आने वाले आगन्तुकों के अल्पावधि निवास हेतु 8-10 कमरों की भी व्यवस्था हो। इसके लिये प्राक्कलन और आरेखन तैयार करके सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाये। 4- यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के कर्मचारियों के लिये एक परिषद कल्याण कोष की स्थापना की जाये। इसका विस्तार से प्रारूप बनवाया जाये और परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

1	2	3	4
			5- बैठक में बताया गया कि परिषद द्वारा बनायी जा रही सम्पत्तियां दिन प्रति दिन मंहगी होती जा रही है जिसके फलस्वरूप विभिन्न आय वर्ग के लोग जिनके लिये परिषद सम्पत्तियां निर्मित करती हैं उनकी देय क्षमता से यह सम्पत्तियां परे होती जा रही है। इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में विस्तार में परीक्षण करा लिया जाये और इसके संदर्भ में जो भी सुझाव हो वह परिषद की अगली बैठक में रखे जायें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

निर्णय लिया गया कि परिषद की अगली बैठक दिनांक 20-3-85 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में परिषद मुख्यालय पर होगी।

पुष्टि की जाती

अध्यक्ष